16

भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप

भाग 1 – कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector)

पिछले अध्याय में हमने अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसे तीन क्षेत्रों में बाँटा कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। इसी वर्गीकरण के आधार पर हम पिछले 60 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को समझ सकते हैं। देखा गया है कि अर्थव्यवस्था के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में कृषि और उससे सम्बन्धित क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहे। कृषि क्षेत्र के उत्पादन और उस पर लगाए गए लगान के कारण राजाओं एवं सामन्तों के पास स्थाई सेनाएँ सम्भव हो पाईं। इसके साथ–साथ कृषि क्षेत्र के उत्पादन पर निर्भर शहर बसे, जहाँ व्यापारी एवं दस्तकारों की संख्या अधिक थी। लेन–देन से बाज़ार फैला और कुछ लोग कृषि से हटकर उद्योग और सेवा के क्षेत्र में काम करने लगे। इन परिर्वतनों के बावजूद समाज में कृषि क्षेत्र उत्पादन और रोज़गार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बना रहा।

चित्र 16.1 : खेत में लहलहाती फसल

औद्योगिक क्रान्ति के बाद विकसित देशों में विनिर्माण की नवीन प्रणाली का फैलाव हुआ। कारखाने बनने लगे। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों द्वारा सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग उपभोग करने लगे। इस तरह धीरे–धीरे कुल उत्पादन एवं रोज़गार की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण बनने लगा। हम इतिहास के पाठ में इसके बारे में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे।

विकसित देशों में हुए इन बदलावों की खास बात यह है कि उत्पादन एवं रोज़गार दोनों में एक साथ बदलाव आए। कृषि क्षेत्र में लोग कम हो गए और उद्योगों में काम करने लगे। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बदलाव रोज़गार और उत्पादन में साथ–साथ होता आया है। क्या भारत में यह बदलाव इसी प्रकार का हो रहा है या उसका स्वरूप अलग है? इसकी चर्चा हम पाठ में आगे करेंगे।

कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र (Agriculture and allied sectors)

भारत एक विकासशील देश है जहाँ की आधी–से–अधिक आबादी आज भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। स्वतंत्रता के समय देश में 72 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे थे। उस समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 55 प्रतिशत था। आज भी देश के अधिकांश ग्रामीण परिवारों में कृषि ही रोज़गार का मुख्य साधन है। कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र, जैसे– दुग्ध उत्पादन, मछली पालन एवं वनोपज भारतीय अर्थव्यवस्था में 53 प्रतिशत लोगों को रोज़गार प्रदान करता है किन्तु आज यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा प्रदान कर रहा है।

दिए गए आँकड़ों के आधार पर इस तालिका को पूरा कीजिए–

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान	कृषि का योगदान रोज़गार में
वर्ष 1950–51 (स्वतंत्रता के समय)		
वर्ष 2009–10 (साठ साल के बाद)		

इस तालिका के आधार पर कृषि क्षेत्र में क्या–क्या बदलाव हुए? समझाएँ।

परियोजना कार्य – आप अपने मोहल्ले के रोज़गार प्राप्त लोगों की संख्या पता करें, चाहे वे पूर्ण रूप से काम कर रहे हों या आंशिक रूप से।

भारत देश में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कम हुआ है, परन्तु इन साठ वर्षों में लोगों को उद्योग या अन्य क्षेत्र में रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अतः रोज़गार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बनी हुई है। यदि ऐसे लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य कार्य करें, तब भी कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात कृषि उत्पादन में कमी नहीं आएगी। अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग यदि रोजगार प्राप्त कर रहे हों, तो उसे **अदृश्य बेरोज़गारी या प्रच्छन्न बेरोज़गारी (Disguised Unemployment)** कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी को हम नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं।

मान लीजिए एक कृषक परिवार में छः वयस्क सदस्य हैं तथा उनके पास चार एकड़ कृषि भूमि है। ये सभी छः सदस्य कृषि कार्य करके इस खेत से 40 क्विंटल धान उत्पादन करते हैं। इन वयस्क सदस्यों में से किन्हीं दो सदस्यों को अन्य क्षेत्र में रोज़गार मिल जाता है। ये सदस्य कृषि क्षेत्र को छोड़कर नए रोज़गार में चले जाते हैं। अब इस कृषि भूमि पर केवल चार सदस्य ही कार्य करते हैं और 40 क्विंटल धान का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दो सदस्यों की कृषि उत्पादकता शून्य रही। इनके अन्य क्षेत्र में चले जाने से भी कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अतः इस कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक सदस्यों का होना प्रच्छन्न बेरोज़गारी को दर्शाता है। इन सदस्यों के दूसरे क्षेत्र में चले जाने का फायदा उस कृषक एवं उसके परिवार को हुआ। दो सदस्यों की आय अलग से प्राप्त हुई। परिणामस्वरूप कृषक परिवार की आय में वृद्धि हुई।

नीचे दिए गए वृत्त आरेख के माध्यम से हम जनसंख्या और उनका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान को समझने का प्रयास करेंगे–

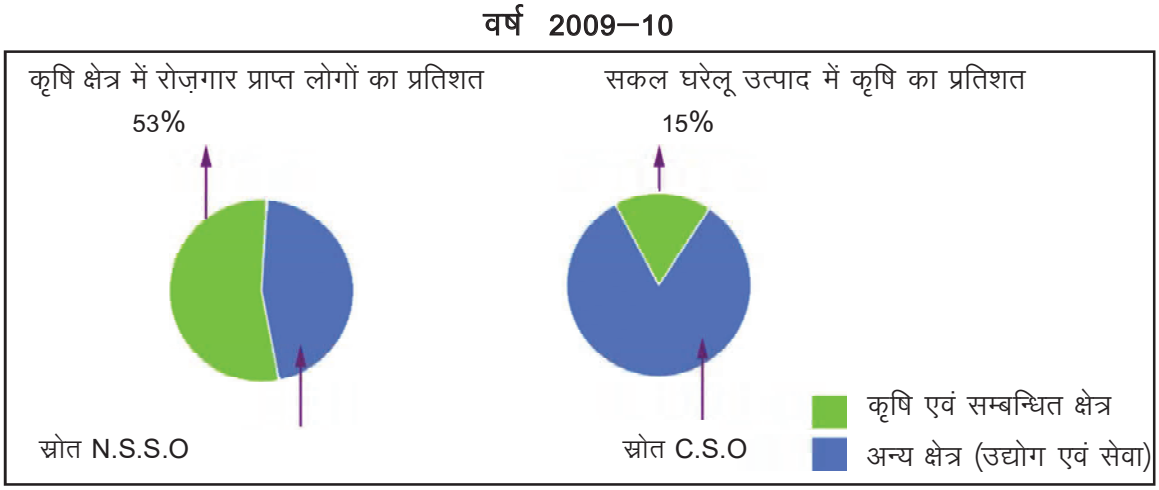

वृत्त आरेख 16.2 : जनसंख्या और उनका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान

वृत्त आरेख 16.2 को पूरा करते हुए निष्कर्ष निकालिए।

क्या आप अपने आस–पास प्रच्छन्न बेरोज़गारी के उदाहरण देखते हैं?

प्रच्छन्न बेरोज़गारी जैसी स्थिति, जहाँ लोगों के पास काम तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है शहरी क्षेत्र में भी देखी जा सकती है चर्चा करें।

कृषि क्षेत्र की मुख्य चुनौतियाँ

मानसून पर निर्भरता एवं जल संरक्षण

भारतीय कृषि का अधिकतर भाग आज भी मानसून पर निर्भर है। एक ओर जहाँ सामान्य एवं समय पर हुई वर्षा कृषि क्षेत्र के लिए लाभदायक होती है, वहीं दूसरी ओर अतिवृष्टि एवं सूखा से कृषि क्षेत्र चरमरा जाता है। फसलों में होने वाली विभिन्न बीमारियों, कीटों के प्रकोप, ओला वृष्टि आदि से कभी–कभी कृषि उत्पादन में कमी के साथ–साथ लागत वापस मिलना तक मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक परिवर्तन के कारण कृषक हमेशा अनिष्चितता से जूझते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे कर्ज़ के कारण भी परेशान हो जाते हैं।

चित्र 16.3 : फसलों के लिए नुकसानदायक ओला वृष्टि

किसी भी प्राकृतिक परिवर्तन से जूझने के लिए कई प्रकार की योजनाओं की आवष्यकता होती है। फसल बीमा, अनाजों का संग्रहण, मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर फसल के प्रकार का चयन जैसे उपाय अपनाकर समस्याओं का काफी हद तक समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार की योजनाओं का उचित क्रियान्वयन हमारे लिए एक चुनौती है।

आज हमारे देश में लगभग 45 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई के विभिन्न साधनों से सिंचित है। फिर भी एक बड़ा हिस्सा केवल मानसून पर निर्भर है। यही सूखी खेती का इलाका है। यहाँ जल संरक्षण पहला लक्ष्य है। एक ओर यहाँ के किसान जौ, चना, तुअर, सोयाबीन, कपास, मूँगफली, ज्वार आदि की खेती करते हैं। दूसरी ओर सिंचित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई भूमिगत जल के माध्यम से की जाती है। परन्तु यहाँ भी अत्यधिक भूमिगत जल के दोहन से जल स्तर लगातार नीचे गिरते जा रहा है।

उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति ने अपने घरेलू कार्य एवं सिंचाई हेतु नलकूप खुदवाया। उसे 20 वर्ष पूर्व सिर्फ 150 फीट की गहराई पर पानी मिल गया था। पाँच वर्ष बाद अन्य ग्रामीणों ने भी नलकूप खुदवाया, उन्हें 250 फीट पर पानी मिला धीरे–धीरे जल स्तर नीचे जाने से उस व्यक्ति का बोर सूख गया। इसके तीन वर्ष पश्चात् उसने व अन्य ग्रामीणों ने 300 फीट की गहराई तक नलकूप खुदवाया। यदि यही क्रम चलता रहा तो आगामी कुछ वर्षों में भू–गर्भ से पानी प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य होगा।

अतः हमें गिरते भू–जल स्तर की गम्भीरता को समझना होगा। भू–जल संग्रहण के लिए हमें वर्षा जल को स्टापडेम, मेड़ बन्दी, गहरे कुँए बनाकर संग्रहित करना चाहिए। इससे भू–जल स्तर में गिरावट की संभावना कम हो जाएगी। भू–जल वैज्ञानिकों के सुझाव अब लोगों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में धीरे–धीरे अपनाये जा रहे हैं।

अनाज संग्रहण के क्या तरीके हो सकते हैं जो छोटे किसानों को सुरक्षा प्रदान करें?

क्या हमारे देश में जहाँ अधिकांश छोटे किसान हैं; फसल बीमा योजना कामयाब हो सकती है? चर्चा कीजिए।

परियोजना कार्य– आपने अपने इलाके में जल संरक्षण की कोई योजना देखी होगी। वह ठीक से काम कर रही है या नहीं, इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए।

चित्र 16.4 : बारिश न होने के कारण सूखा खेत

भूमि की ऊर्वरा शक्ति को बचाए रखना

हमने कक्षा 8 में पढ़ा कि सन् 1960 के दशक से हरित क्रान्ति की योजना की शुरुआत की गई। उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई सुविधा, कीटनाशकों आदि का उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि की गई। फसलों के अधिक उत्पादन की चाह में कृषक वर्ग द्वारा अपनी भूमि में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे अनाज भंडारण बढ़ा, अकाल पर काबू पा लिया गया और खाद्य सुरक्षा संभव हो पाई।

भूमि में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की सड़न (अपघटन) के कारण तरह–तरह के पोषक तत्व भूमि में बनते रहते हैं किन्तु रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों में कई ऐसे रसायन होते हैं जो भूमि में मौजूद सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करते हैं। रसायनों के प्रभाव से सूक्ष्म जीव भी मर जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के नहीं रहने से कृषि भूमि की ऊर्वरा भाक्ति धीरे–धीरे कम होती जाती है।

कृषकों को इस बात का अनुमान है कि भूमि की उर्वरा भाक्ति कम हो रही है। पर वे उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और फसल को विभिन्न प्रकार के कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। इससे कृषि लागत काफी महंगी होती जा रही है। खेती के तरीके में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है जैसे व्यापक रूप से जैविक खाद का उपयोग करना और मिश्रित एवं बहुफसलीय कृषि को अपनाना। इससे भूमि की ऊर्वरा शक्ति बनी रहेगी और कृषि लागत अपेक्षाकृत सस्ती हो जायेगी।

आम तौर पर देखा गया है कि किसी एक ऋतु में बड़े क्षेत्र में सभी कृषकों द्वारा एक ही तरह की फसल ली जाती है। किसानों ने अनुभव किया है कि इस कार्य में यदि किसी भी मौसम में प्राकृतिक परिवर्तन होता है तो उस क्षेत्र में सभी फसलें प्रभावित होती है। मिश्रित एवं बहुफसलीय कृषि के अपनाए जाने से प्राकृतिक परिवर्तन के कारण होने वाली हानि से फसल को बचाया जा सकता है, जैसे– किसी गाँव के कृषक रबी के मौसम में विभिन्न खेतों में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों आदि की उपज लेने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक परिवर्तन से कुछ फसल ही प्रभावित हुई एवं भोष फसल को बचा लिया गया। सूखी खेती के इलाकों में देशी एवं कम पानी वाली फसलें, जैसे– जौ, बाज़रा, मूँग, उड़द आदि का उत्पादन किया जा सकता है। आज की चुनौती है कि सरकारी योजनाओं द्वारा बहुफसलीय कृषि को प्रोत्साहन कैसे दिया जाए?

जैविक खेती : एक कृषक का अनुभव

नटवर भाई एक कृषक हैं जो ओडिशा के कटक ज़िले के नरीसु गाँव में रहते हैं। वे एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तथा पिछले बीस वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस पद्धति से भी उतना ही उत्पादन लिया जा सकता है जितना कि हम उन्नत बीज से प्राप्त करते हैं। फसल की कुछ किस्में तो उन्हें बीस क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन उपलब्ध कराती हैं। वे रासायनिक खाद और कीटनाशक का बिलकुल भी उपयोग नहीं करते। उनके लिए गोबर जैसी देशी खाद एवं प्राकृतिक कीटनाशक फसल के लिए पर्याप्त हैं। इसमें मेहनत अपेक्षाकृत अधिक लगती है पर लागत बहुत कम है।

चित्र 16.5 : जैविक खेती

नटवर भाई पहले अन्य कृषकों जैसे ही थे और वे रासायनिक खाद व कीटनाशकों का खूब उपयोग करते थे। एक दिन उन्होंने एक मज़दूर को कीटनाशक अपने खेत में छिड़कते हुए देखा। वह मज़दूर कीटनाशक छिड़कते समय बेहोश होकर खेत में गिर गया और उसे तुरन्त अस्पताल ले जाना पड़ा। नटवर भाई ने उस कीटनाशक को एक गड्ढे में गाड़ दिया और कुछ दिन बाद उन्होंने उसी गड्ढे में देखा कि कई मरे हुए घोंघे, साँप, मेंढक आदि तैर रहे थे। तभी उन्हें समझ आया कि रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से भूमि में केचुँए एवं अन्य सूक्ष्म जीव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसलिए उन्होंने अपना विचार बदलकर पूरी तरह जैविक खेती को अपना लिया।

साभार– न्यू राईस एव्हरीडे, आशीष कोठारी, हिन्दू, दिसम्बर, 9, 2012

जैविक खेती किसे कहते हैं? अपने शिक्षक से चर्चा करें।

क्या जैविक खेती से खाद्यान्न का उत्पादन उतनी ही मात्रा में किया जा सकता है जितना हम रासायनिक खादों के उपयोग से कर रहे हैं? चर्चा करें।

जैविक खेती छोटे और लघु किसानों के लिए किस तरह से कारगर हो सकती है? चर्चा करें।

क्या किसान कभी टोल फ्री नंबर 1800–180–1551 का उपयोग करते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।

भूमि का असमान वितरण

हमने देखा कि एक ओर भूमि की ऊर्वरा भाक्ति को बढ़ाना ज़रूरी है। जमीन की इसी प्राकृतिक भाक्ति से ही कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ, कृषि भूमि सीमित है और इसका वितरण भी असमान है। एक गाँव के उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। उस गाँव में 450 कृषक परिवार हैं। इनमें से 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि है, ये मध्यम एवं बड़े किसान हैं। 240 ऐसे परिवार हैं जो छोटे किसान हैं। इनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, परिवार में पीढ़ी–दर–पीढ़ी उसी भूमि के बँटवारे के चलते सभी लोगों को कृषि के जरिए रोज़गार नहीं मिल पाता है। ये परिवार गैर–कृषि कार्य में रोज़गार की तलाश कर रहे हैं। यहीं पर 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन कृषि मज़दूर हैं। इन परिवारों को वर्ष–भर काम नहीं मिलता है, सामाजिक दृष्टि से भी इन परिवारों को गैर–कृषि कार्यों में सहयोग नहीं मिलता। यह गाँव में सबसे वंचित समूह है।

आइए अगले पेज पर दी गई तालिका से भारत में भूमि के वितरण में छोटे, मध्यम और बड़े किसानों की हिस्सेदारी की जानकारी प्राप्त करते हैं।

क्र.	किसान	किसान की भूमि आबादी का प्रतिशत	कृषकों की भूमि का प्रतिशत	जुताई की गई भूमि का प्रतिशत
1.	छोटे किसान	दो हेक्टेयर से कम	85	45
2.	मध्यम एवं बड़े किसान	दो हेक्टेयर से अधिक	15	55

स्रोत – एग्रीकल्चर सेन्सेस 2010–11

टीप– जुताई की गई भूमि किसान की खुद की भूमि हो सकती है या फिर बटाई पर ली गई भूमि भी हो सकती है।

क्या आप तालिका को देखकर कह सकते हैं कि भूमि का वितरण असमान है? चर्चा करें।

कृषि उत्पाद के लिए विपणन व्यवस्था

कृषक अपने उत्पादों का कुछ भाग स्वयं के उपयोग के लिए रखते हैं तथा शेष उत्पादन को बाज़ार में बेच देते हैं। परन्तु बाज़ार में मध्यस्थों के कारण कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसे मध्यस्थ कृषकों से अनाज को कम कीमत पर खरीद कर अधिक कीमत पर अन्य स्थानों पर बेच देते हैं।

इस समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है एवं सार्वजनिक मण्डी व्यवस्था को मज़बूत बनाया जाता है।

चित्र 16.6 : अनाज मण्डी

समर्थन मूल्य लागू करने के लिए ज़रूरी है कि किसानों की पहुँच में मण्डी या सरकारी क्रय केन्द्र उपलब्ध हों जहाँ उन्हें फसल का उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए सरकारी मण्डियों में खुली नीलामी की जाती है। यहाँ भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं रखा जा सकता। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती तो कृषक खुले बाज़ार में बेचने को मजबूर हो जाते हैं और इसका फायदा मध्यस्थ उठाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आशय विभिन्न फसलों के कम से कम खरीद मूल्य से है जिसे सरकार घोषित करती है। इस समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कृषकों से फसल नहीं खरीदी जा सकती है। इस हेतु कई बार सरकार स्वयं फसल खरीदने के लिए व्यवस्था भी करती है।

आपके क्षेत्र में कृषक अपने उत्पाद को कहाँ बेचते हैं? क्या उन्हें उचित मूल्य मिलता है? कक्षा में चर्चा करके एक रिपोर्ट लिखें।

परियोजना कार्य–

1. **अपने क्षेत्र की कृषि मण्डी व्यवस्था का अवलोकन करें और उस पर एक रिपोर्ट लिखें।**
2. **पटवारी की सहायता से भूमि वितरण के संदर्भ में आप अपने गाँव या परिचित गाँव का एक रिपोर्ट तैयार करें।**

कृषि में साख की आवश्यकता

कृषि कार्य हेतु कृषक को बीज, खाद, जुताई एवं सिंचाई आदि की आवश्कता होती है जिन्हें वह खरीदता है। इसके लिए कृषकों के पास पर्याप्त धन नहीं रहता। इस कारण कृषकों को ऋण या उधार प्राप्त करना पड़ता है। यही ऋण या उधार अर्थशास्त्र की भाषा में साख कहलाता है। हमारे देश में कृषक दो प्रकार से साख प्राप्त करते हैं – 1. संस्थागत साख तथा 2. गैर संस्थागत साख।

संस्थागत साख (Institutional Credit)– संस्थागत साख से आशय ऐसी साख सुविधा से है जो सहकारी संस्था, सरकार या बैंक के द्वारा कृषकों को प्रदान की जाती है। इस साख सुविधा के अन्तर्गत कम ब्याज दर पर ऋण के लिए कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.), कृषि यंत्रों की खरीदी पर अनुदान, खाद व बीज क्रय हेतु ऋण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी साख सुविधा को संस्थागत साख कहा जाता है।

हमारे देश में यह साख सुविधा ज्यादातर मध्यम एवं बड़े किसान प्राप्त करते हैं क्योंकि इस साख सुविधा की सबसे बड़ी शर्त ज़मानत होती है जिसे छोटे या गरीब कृषक आसानी से पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा, इस साख सुविधा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दस्तावेज़ी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। इन्हीं कारणों से ज़्यादातर छोटे एवं गरीब कृषक संस्थागत साख सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

गैर संस्थागत साख (Non Institutional Credit)– संस्थागत साख से वंचित कृषक कृषि एवं अन्य कार्य करने के लिए मजबूरीवश अपने आस–पास के सेठ, साहूकार, महाजन, मित्र, रिष्तेदार आदि से ऋण प्राप्त करते हैं। ऋणदाता इन कृषकों की मजबूरी का फायदा उठाकर ऊँची ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। यह साख सुविधा आपसी समझौतों एवं वायदों के आधार पर होती है। इसमें किसी प्रकार की काग़जी एवं दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता। इस साख सुविधा को गैर संस्थागत साख के नाम से जाना जाता है।

हमारे देश में कृषि साख के वितरण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सक्षम कृषकों को संस्थागत साख मिल जाते हैं, परन्तु साधनहीन कृषकों को संस्थागत साख आसानी से प्राप्त नहीं हो पाते।

हम वर्ष 2012 में भारत में ग्रामीण परिवार के साख स्रोतों को वृत्त आरेख 16.7 के माध्यम से समझ सकते हैं। इस आरेख के माध्यम से ग्रामीण परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत संस्थागत तथा कितना प्रतिशत गैर संस्थागत है, इसका पता चलता है।

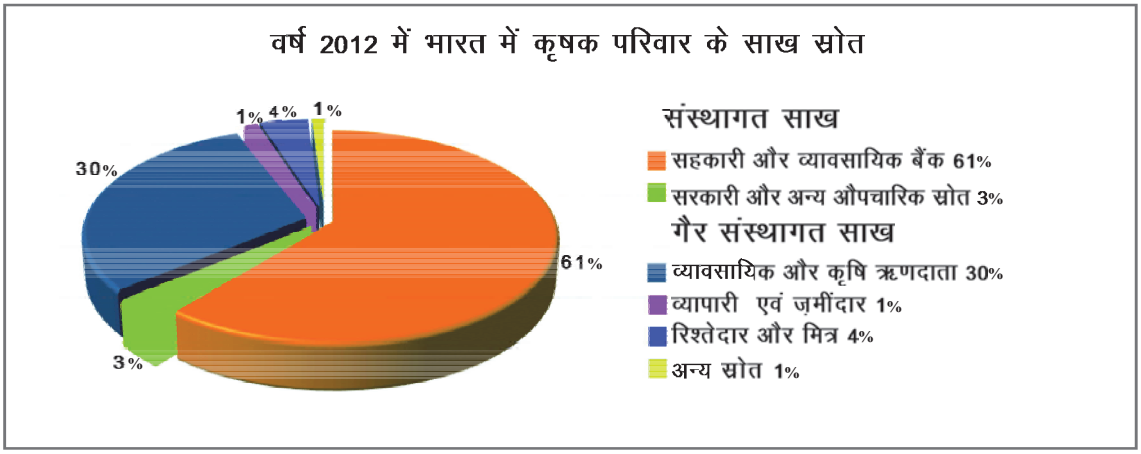

वृत्त आरेख 16.7 : स्रोत NSSO रिपोर्ट 2014

. संस्थागत और गैर संस्थागत साख में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

. क्या कारण है कि प्रायः बड़े कृषक संस्थागत व छोटे कृषक गैर संस्थागत साख प्राप्त करते हैं?

. कक्षा में चर्चा करें कि क्या कोई ऐसा माध्यम है जिससे गरीब किसान बिना ज़मानत दिए बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है?

गैर कृषि कार्य के अवसर

आज़ादी के समय हम अधिकांशतः अपने उपभोग के लिए अनाज का उत्पादन करते थे एवं सीमित मात्रा में बाज़ार में अनाज बेचा करते थे। परन्तु अब खेती ने व्यावसायिक स्वरुप धारण कर लिया है। इस कारण खेती के लिए ज़रूरी साधन खरीदे जाते हैं, जैसे – बिजली, खाद, बीज, ट्रेक्टर, ट्यूबवेल, हार्वेस्टर आदि। इसके लिए साख की ज़रूरत होगी जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है। अब खेती की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा बाज़ार में बेचने के लिए लाया जाता है।

कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र, जैसे – दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, वनोपज आदि से भी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। हमारे देश के गाँवों में अधिकांश लोग छोटे किसान या मज़दूर हैं। इन लोगों को कृषि क्षेत्र में लगातार और साल भर काम नहीं मिलता। फलस्वरूप छोटे एवं गरीब कृषक कृषि के प्रमुख कार्य, जैसे–जुताई, बुआई व कटाई का कार्य करते हैं। खाली समय में किसी दूसरे कार्य, जैसे– मज़दूरी, स्थानीय बाज़ार में सब्जी बेचना, ईंट–भठ्ठों पर काम करना, मकान निर्माण में काम करना या अन्य क्षेत्रों में पलायन करके आय अर्जन करते हैं। इस तरह के अनेक गैर–कृषि कार्य आजकल बढ़े हैं, लेकिन वे अनियमित एवं अनिष्चित हैं और कम मजदूरी वाले क्षेत्र हैं।

सबके लिए विकास की कल्पना तभी की जा सकती है जब इन चुनौतियों के हल खोजने के प्रयास किए जाएँ।

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. ..... देशों की प्रारंभिक अवस्था में कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहे।
2. वर्तमान में भारत की जनसंख्या के लगभग .....प्रतिशत लोग कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर निर्भर हैं।
3. ..... परिवर्तन के कारण कृषक हमेशा अनिष्चितता से जूझते रहते हैं।
4. सिंचित क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिंचाई ..... जल के माध्यम से की जाती है।

2. सही विकल्प चुनकर लिखिए–

(अ) विकसित देशों में विनिर्माण की नवीन प्रणाली का फैलाव हुआ –

(क) हरित क्रांति के बाद (ख) श्वेत क्रांति के बाद

(ग) औद्योगिक क्रांति के बाद (घ) इनमें से कोई नहीं

(ब) वर्तमान में भारत रोजगार के लिए किस क्षेत्र पर सबसे अधिक निर्भर है –

(क) कृषि क्षेत्र (ख) उद्योग क्षेत्र

(ग) सेवा क्षेत्र (घ) इनमें से कोई नहीं

(स) भूमि की उर्वरा शक्ति को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए आवष्यक है–

(क) रासायनिक खाद (ख) जैविक खाद

(ग) कीटनाशक दवाइयाँ (घ) इनमें से कोई नहीं

(द) वर्ष 2009–10 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है –

(क) 15 प्रतिशत (ख) 30 प्रतिशत

(ग) 45 प्रतिशत (घ) 60 प्रतिशत

3. भारत में रोजगार के लिए निर्भरता कृषि क्षेत्र पर ही बनी हुई है। इसके कारणों को अपने शब्दों में समझाइए।
4. क्या कारण हैं कि कृषक अनिष्चितता से जूझते रहते हैं?
5. सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना किन–किन कारणों से महत्वपूर्ण है?
6. घटता भू–जल स्तर चिंता का विषय है। इससे मुक्ति पाने के विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए।
7. उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? कारण बताइए।
8. मिश्रित एवं बहुफसलीय कृषि कृषकों के लिए लाभदायक है। समझाइए।
9. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो इसके उपाय सुझाइए।
10. अपने अनुभव को जोड़ते हुए समझाइए कि किसानों के हित में और क्या–क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

परियोजना कार्य–

1 जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को चित्रों के माध्यम से समझाइए।
2. गैर संस्थागत साख लेने वाले किसी एक व्यक्ति से निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर साक्षात्कार लीजिए–
    1. साख का उद्देष्य।
    2. गैर संस्थागत साख देने वाले व्यक्ति से सम्बन्ध।
    3. साख की राशि एवं ब्याज की दर।
    4. मूलधन लौटाने की अवधि।
    5. क्या गैर संस्थागत साख लेना लोगों की मजबूरी है? अपने विचार व्यक्त कीजिए।

**